जिला कलक्टर, भीलवाड़ा

19/6/2018

पत्रावली पेश हुई। उभय पक्ष उपस्थित। पीठासीन अधिकारी जी अन्य कार्य में व्यस्त है। अतः पत्रावली आयन्दा कार्यवाही के लिए दिनांक 26/6/2018 को पेश हो।

SDO से रिपोर्ट प्राप्त।

आदेश से

26/6/2018 – वकील प्रार्थी उपनं बहस [illegible] सुनी गई। बहस में वकील प्रार्थी ने बताया कि प्रकरण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गंगापुर में विचाराधीन है। विपक्षी शिवसिंह अपक्षकार है जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद पर न्यायालय उपखण्ड अधिकारी गंगापुर में ही कार्यरत है। उक्त कार्मिक मामले को अपने पक्ष में करने हेतु विपक्षी सं. 2 जो कि अधिकारी है का फायदा उठा रहा है। अतः प्रार्थी को न्यायालय उपखण्ड अधिकारी गंगापुर में विचाराधीन वाद सं. 150/2017 में न्याय मिलने की उम्मीद नहीं होने से प्रकरण को अन्य न्यायालय में स्थानान्तरित फरमावें।

हमने वकील प्रार्थी को सुना एवं उपखण्ड अधिकारी गंगापुर के पत्रांक 150/17 दि. 21-5-2018 के अवलोकन से जाहिर आया कि उनके न्यायालय में वाद सं. 150/2017 अन्तर्गत धारा 183 रा. का. अ. का विचाराधीन है जिसमें विपक्षी शिवसिंह वादी होकर उपखण्ड अधिकारी गंगापुर में सहायक कर्मचारी के पद पर कार्यरत है। विपक्षी

जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

शिवसिंह पीठासीन अधिकारी के अधीन ही कार्यरत है तथा पीठासीन अधिकारी से भी न्याय नहीं मिलना जाहिर किया है।

अतः प्राकृतिक न्याय एवं नैसर्गिक सिद्धान्तो के तहत निष्पक्ष न्याय की दृष्टि से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर न्यायालय सहायक कलेक्टर (उपखण्ड अधिकारी) गंगापुर के वाद सं० 15/2017 उन्वान श्री शिवसिंह S/o शोभाग सिंह राजपूत नि० मूण्डास बनाम श्री पदमसिंह S/o प्रतापसिंह राव नि० मूण्डास त० सहाड़ा अन्तर्गत धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम को आगामी सुनवाई हेतु न्यायालय सहायक कलेक्टर (उपखण्ड अधिकारी) भीलवाड़ा को स्थानान्तरित किए जाने के आदेश दिए जाते है। आदेशानुसार तामील जारी हो। निर्णय लिखवाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

जिला कलेक्टर
भीलवाड़ा